न्यायालयः—प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

(समक्ष—सचिन कुमार घोष)

नियमित व्यवहार अपील क्र.—81/2023
फाईलिंग क्र.—1299/2023
सी.एन.आर.क्र.—MP0401-009518-2023
संस्थित दिनांक—06-12-2023

1. नामिनी / मालिक / डायरेक्टर,
   रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड,
   लसुड़िया मोरी देवास नाका इंदौर
   तहसील व जिला—इंदौर (म.प्र.)
2. कम्पनी, रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड़द्व
   लसुड़िया मोरी देवास नाका इंदौर
   तहसील व जिला—इंदौर (म.प्र.)
3. नामिनी / मालिक / डायरेक्टर,
   रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड,
   तालावली चांदा, ए.बी.रोड़, मंगलिया गांव इंदौर
   तहसील व जिला—इंदौर (म.प्र.)
4. कम्पनी, रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड,
   तालावली चांदा, ए.बी.रोड़, मंगलिया गांव इंदौर
   तहसील व जिला—इंदौर (म.प्र.) **——आवेदकगण / अपीलार्थीगण**

विरूद्ध

म.प्र. शासन,द्वारा—श्री संदीप पाटिल,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, बैतूल
(खाद्य एवं औषधि प्रशासन) तहसील व जिला—बैतूल (म.प्र.)

————अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी

आवेदकगण / अपीलार्थीगण द्वारा –: श्री मार्टिन एंथोनी, अधिवक्ता।

अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी द्वारा –: श्री बी.आर. कुंभारे ए.जी.पी.।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, बैतूल श्री जयप्रकाश सैयाम, के न्यायालय के रा.प्र.क्र.–0073 / ब–121 / वर्ष 2022–23 ''म.प्र. राज्य बनाम मनीष खण्डेलवाल वगैरह'' में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 से उद्भूत विविध व्यवहार अपील।

– : : आदेश : : –

(आज दिनांक 08.08.2025 को पारित)

01. इस आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण (अत्र पश्चात् **''अनावेदकगण''** से संबोधित) के द्वारा विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी), बैतूल श्री जयप्रकाश सैयाम, के न्यायालय के रा.प्र.क्र.–0073 / ब–121 / वर्ष 2022–23 ''म.प्र. राज्य बनाम मनीष खण्डेलवाल वगैरह'' में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 से व्यथित होकर उसकी वैधता एवं विधिकता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा अनावेदकगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (अत्र पश्चात् **''अधिनियम, 2006''** से संबोधित) की धारा–26(2)(II), 27(1), 27(2), व 27(3), के उल्लंघन के आधार पर अधिनियम, 2006 की धारा–52 के अधीन शास्तियाँ अधिरोपित की गई है।

02. मूल व्यवहार वाद में आवेदकगण / अपीलार्थीगण, अनावेदकगणा तथा अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी, आवेदक रहे हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से इस निर्णय में आगे अपीलार्थीगण को **''अनावेदकगण''** तथा प्रतिअपीलार्थी को **''आवेदक''** के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

03.1. अभियोजन / खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन का परिवाद सारतः इस प्रकार है कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला बैतूल के आदेश क्रमांकः खाद्य / 2022 / 583, दिनांक 10.08.2022 द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुक्रम में श्री संदीप पाटिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन बैतूल द्वारा इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि श्री रूपराम सनोडिया तत्का सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन बैतूल द्वारा दिनांक 19.08.2021 को ताप्ती कुंड गली तिलक वार्ड मुलताई में स्थित अनावेदक क्र.–1 मनीष खण्डेलवाल के प्रतिष्ठान खण्डेलवाल ट्रेडर्स से खाद्य पदार्थ अमूल प्योर भी एवं महाकोश रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का नमूना क्रय करके विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा उक्त नमूनों की जाँच QTTL लेब प्रा. लि. इन्दौर से करवाई गई। खाद्य विश्लेषक QTTL लेब प्रा. लि. इन्दौर के विश्लेषण प्रतिवेदक क्र.:–QTTL / F / 4268 दिनांक 29.09.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ अमूल प्योर घी का नमूना मिथ्याछाप होना पाया गया है, एवं विश्लेषण प्रतिवेदन क्रमांक–QTTL / F / 4269 दिनांक 29.09.2021 के अनुसार महाकोश रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का नमूना मिथ्याछाप होना पाया गया है। अनावेदक क्र.–1 द्वारा खाद्य पदार्थ अमूल प्योर घी, अनावेदक क्र.–2 संतोष खण्डेलवाल (खण्डेलवाल किराना मुलताई) से क्रय किया गया है। अनावेदक क्र.–2 ने उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक क्र.–3 तपन खण्डेलवाल (खण्डेलवाल मार्केटिंग मुलताई) से क्रय किया है। अनावेदक क्र.–3 ने उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक क्र.–5 से क्रय किया है। अनावेदक क्र.–7 पंचमहल जिला कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन गोधरा गुजरात उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता है, अनावेदक क्र.–9 उक्त खाद्य पदार्थ का विपणनकर्ता है।

03.2. अभियोजन/खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन का परिवाद यह भी रहा है कि इसी प्रकार अनावेदक क्र.–1 द्वारा खाद्य पदार्थ महाकोश महाकोश रिफाईण्ड सोयाबीन तेल अनावेदक क्र.–11 रूचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर से क्रय किया गया है। अनावेदक क्र.–10 उक्त कंपनी के निर्माता/नामिनी/डायरेक्टर है। अंनावेदक क्र.–13 उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता है, तथा अनावेदक क्र.–12 उक्त कंपनी के निर्माता/नामिनी/डायरेक्टर है। अनावेदकगणो का उक्त कृत्य अधिनियम, 2006 की धारा–26(2)(ii) व 27 का उल्लंघन होकर धारा–52 के तहत दण्डनीय होने के कारण तथा श्री रूपराम सनोडिया तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थानांतरण होने के कारण वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल द्वारा न्याय निर्णयन हेतु परिवाद पत्र, विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

04. विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य एवं अंतिम तर्क श्रवण किये जाने के पश्चात् आलोच्य आदेश दिनांक 21.08.2023 के निबंधनों में अनावेदकगण को दोषसिद्ध पाते हुए शास्तियाँ अधिरोपित की गई है, जिससे व्यथित होकर अनावेदकगण की ओर से निम्न आधारों पर संयुक्तः यह अपील प्रस्तुत की गई हैः–

(1) यह कि विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी के द्वारा प्रकरण में आये तथ्यो एवं साक्ष्य का अवलोकन करने एवं पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में न्यायिक अथवा स्वीय मनोवियोग का लेशमात्र भी उपयोग नही किया है, जिस कारण से आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी के द्वारा निराकृत प्रकरण मे अभियोजन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुपराम सनोडिया के कोई कथन नही करवाये है, और न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुपराम सनोडिया द्वारा परिवाद पत्र को सिद्ध किया है ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुपराम सनोडिया के कथनो के अभाव में परिवाद को सिद्ध नही माना जा सकता, किन्तु उक्त तथ्यो को अनदेखा कर विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी ने गंभीर त्रुटि कर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) यह कि अभियोजन के द्वारा लिये गये नमूने के विश्लेषण की समयावधि के भीतर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–46(4) एवं नियम–2, 4 व 6 के प्रावधान के अनुसार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया था, जिसके कारण अपीलार्थी रेफरल प्रयोगशाला द्वारा उक्त नमूने का पुनः परीक्षण कराने के अपने वैधानिक अधिकार से वंचित हुआ है।

(4) यह कि विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी ने यह देखने मे त्रुटि की है कि खाद्य नमूने के निर्माता को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य लाईसेंस क्र. 10012026000040 दिया गया है, जिसमें निर्माता का सम्पूर्ण पते का उल्लेख है तथा उक्त सम्पूर्ण पते का उल्लेख निर्माता के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ महाकोश रिफाईण्ड सोयाबीन तेल 500 एम.एल. के पैकेट पर उल्लेखित किया है उसके उपरांत

भी विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी ने उक्त तथ्यो के विपरीत आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) यह कि अधिनियम, 2006 की धारा–32 के अंतर्गत सुधारात्मक उपायों के अनुसार निर्माता को सुधार सूचना प्रेषित करने के बजाये अभिहित अधिकारी ने सीधे अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर प्रावधानों के विपरीत न्याय निर्णयन हेतु परिवाद प्रस्तुत कर दिया है।

(6) यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मानक स्तर की जाँच हेतु नमूना लेते समय लेबलिंग आवश्यकता का पालन नही किया है इसलिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त नमूना लेने के समय तैयार किये गये फार्म–VA और FARD की रिपोर्ट मे कुछ भी उल्लेख नही किया है ,ऐसी स्थिति मे खाद्य विश्लेषक की उक्त रिपोर्ट विश्वास योग्य नही है, अतः अपील स्वीकार कर विद्वान निर्णायक अधिकारी के द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.08.2023 अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

05. आवेदक की ओर से विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने हस्तगत अपील में वर्णित महत्वपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपने मौखिक तर्क व्यक्त किया है कि विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपने न्यायिक विवेक का समुचित उपयोग करते हुए अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर उचित आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. हस्तगत अपील के निराकरण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है–

> **''क्या विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.08.2023, विधि एवं तथ्यों के अनुरूप न होने से अपास्त किये जाने योग्य है?''**

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

07. हस्तगत अपील, विनिर्माता अनावेदक कंपनी के विनिर्मित उत्पाद ''महाकोष रिफाईन्ड सोयाबीन तेल'' के पैकेट पर मिथ्या छाप से संबंधित है। इस प्रक्रम पर सर्वप्रथम अधिनियम, 2006 की धारा–3(1) में परिभाषित **''मिथ्या छाप''** का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है–

> "**(zf) — "misbranded food"** means an article of food–
> (A) if it is purported, or is represented to be, or is being–
> (i) offered or promoted for sale with false, misleading or deceptive claims either;
> (a) upon the label of the package, or
> (b) through advertisement, or
> (ii) sold by a name which belongs to another article of food; or
> (iii) offered or promoted for sale under the name of a fictitious individual or company as the manufacturer or producer of the article as borne on the package or containing the article or the label on such package; or
>
> (B) if the article is sold in packages which have been sealed or prepared by or at the instance of the manufacturer or producer bearing his name and

address but–

(i) the article is an imitation of, or is a substitute for, or resembles in a manner likely to deceive, another article of food under the name of which it is sold, and is not plainly and conspicuously labelled so as to indicate its true character; or

(ii) the package containing the article or the label on the package bears any statement, design or device regarding the ingredients or the substances contained therein, which is false or misleading in any material particular, or if the package is otherwise deceptive with respect to its contents; or

(iii) the article is offered for sale as the product of any place or country which is false; or

(C) if the article contained in the package–

(i) contains any artificial flavouring, colouring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labelled in accordance with the requirements of this Act or regulations made thereunder or is in contravention thereof; or

(ii) is offered for sale for special dietary uses, unless its label bears such information as may be specified by regulation, concerning its vitamins, minerals or other dietary properties in order sufficiently to inform its purchaser as to its value for such use; or

(iii) is not conspicuously or correctly stated on the outside thereof within the limits of variability laid down under this Act."

08. अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील में आलोच्य आदेश के संदर्भ में मुख्यतः यह आधार लिये गये हैं कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में पैकेज पर निर्माता का पूर्ण पता उल्लेखित न होने से उसे मिथ्या छाप घोषित किया

गया है, जबकि उक्त पैकेज पर, जो पता लेख है वह पता कंपनी के सभी विधिक दस्तावेजों में भी उल्लेखित है और उसी पते पर कंपनी से पत्राचार होता है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी उसी पते पर पत्राचार किया गया है, जिस कारण से विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तर्क के विपरीत विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश को त्रुटिहीन बताते हुए उपरोक्त तर्क अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

09. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का परिशलन किया गया। इस संबंध में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप पाटिल **(प.सा.—1)** के द्वारा अपने जाँच कथन दिनांक 18.04.2023 में उपरोक्तानुसार पूर्ववर्ती अधिकारी रूपराम सनोडिया द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही का समर्थन करते हुए व्यक्त किया है कि क्यूटीटीएल लैब इन्दौर द्वारा उक्त नमूनों का विश्लेषण कर विश्लेषण प्रतिवेदन कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला बैतूल को भेजा गया था, विश्लेषण प्रतिवेदन क्र.—क्यूटीटीएल /एफ/4269 दिनांक 29.09.2021 **(प्रदर्श पी—10)** के अनुसार खाद्य पदार्थ ''महाकोष रिफाईन्ड सोयाबीन तेल'' के पैकेट का नमूना मिथ्याछाप होना पाया गया है।

10. इस संबंध में विश्लेषण प्रतिवेदन क्र.—क्यूटीटीएल/एफ/4183 दिनांक 22.09.2021 **(प्रदर्श पी—10)** में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के क्लॉज 2.2.2.6 का उल्लंघन होने से सैम्पल को मिथ्या छाप घोषित किया गया है और जहाँ तक उक्त उपबंध का संबंध है तो उसमें विनिर्माता का नाम और पूरा पता के संबंध में नियम है, जिसकी

कंडिका–1 अनुसार विनिर्माता और विनिर्माण ईकाई का नाम और पूरा पता खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर पैकिंग या बोतल में भरने वाली ईकाई पर घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार कंडिका–2 अनुसार जहाँ किसी खाद्य वस्तु को किसी अन्य विनिर्माता या कंपनी के लिखित प्राधिकार के अधीन, उसके ब्रांड नाम से किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा विनिर्मित या पैक किया जाता है या बोतल में भरा जाता है, वहाँ लेवल पर, यथास्थिति, विनिर्माता या पैकिंग करने या बोतल में भरने वाली ईकाई तथा साथ ही उस विनिर्माता या कंपनी की जिसके लिए और जिसकी ओर से विनिर्मित अथवा पैक किया गया है या बोतल में भरा गया है, नाम और पूरा पता होगा।

11. जहाँ तक उपरोक्त ''महाकोष रिफाईन्ड सोयाबीन तेल'' के पैकेट पर निर्माता के पूर्ण एवं सही पते का संबंध है, तो निरीक्षण एवं सैम्पलिंग की कार्यवाही के समय विद्वान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फॉर्म–V A दिनांक 19.08.2021 में लेखबद्ध खाद्य के विवरण में लेख किया है कि–

''2. BTL/RRS/58/2021/90824

Refined Soyabean Oil Brand-MAHAKOSH,

500 ml, Pouch Packed BatNo-TC31(b-07)

Pkg-JUL 2021,

BEST BEFORE 9 MONTHS FROM PACKING.

Mfg by:- TALAWALI CHANDA, A.B. ROAD

MANGLIAGAON-453771”

12. इस तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पदीय कर्तव्य के अनुक्रम की गयी कार्यवाही में तैयार उपरोक्त दस्तावेज फॉर्म–V A **(प्रदर्श पी–09)** में विनिर्माता के पते के रूप में–"TALAWALI CHANDA, A.B. ROAD, MANGLIAGAON-453771" उल्लेखित है।

13. यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी के मूल अभिलेख में संलग्न उपरोक्त दस्तावेज फॉर्म–V A दिनांक 19.08.2021 में उल्लेखित उपरोक्त पता कार्यालय–अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला–बैतूल, म.प्र. द्वारा अपीलार्थीगण को संप्रेषित पत्र दिनांक 13.10.2021 **(प्रदर्श पी–29)** में भी लेखबद्ध है और उक्त पते पर ही अपीलार्थीगण को डाक प्रेषित किये जाने के संबंध में दिनांक 13.10.2021 की पोस्टल रसीदें **(प्रदर्श पी–30 व 31)** भी संलग्न है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि है कि प्रकरण में संलग्न नमूने पैक के लेवल **(प्रदर्श पी–11सी)** पर भी निम्न पता दर्शित हो रहा है–

"TALAWALI CHANDA, A.B. ROAD,
MANGLIAGAON-453771"

14. इस प्रकार जिस विधिक प्रावधान का उल्लंघन होना खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लेख किया गया है, उक्त विधिक प्रावधान के अनुक्रम में यदि देखा जाए तो जप्तशुदा नमूने के पैक पर पिनकोड सहित पूर्ण पता अंकित होना दर्शित हो रहा है, क्योंकि उक्त पता उक्त कंपनी के विधिक दस्तावेजों में अंकित होकर उक्त पते पर ही खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग, बैतूल द्वारा उक्त कंपनी अर्थात अपीलार्थीगण से पत्राचार किया गया है। साथ ही उक्त पतों पर ही विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र दिनांक 17.08.2023 प्रेषित किया जाना भी दर्शित होता है।

15. इस प्रक्रम पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत्–**"Nirma Limited vs. State of Panjab, (2015) 4 CCR 7"** में प्रतिपादित विधिक मत अवलोकनीय है, जो निम्नानुसार है–

> "7. It is not possible for us to conclude, that the address indicated on the products seized from the Appellant, is referable to more than one "States". The simple reason therefore is, that the label on the packaging indicates the pin code along with the names of the city (Ahmedabad - 380009) and Village (Kalatalav-364313) with reference to the registered office of the manufacturer and the place of manufacture respectively. The above address, is in our view, satisfies the requirement of "complete address", because there would be no difficulty in locating the manufacturing unit, and the registered office of the Appellant, from the address displayed on the label of the packing. Since the pin code is also mentioned, the address on the packaging would not lead to more than one locations. It is, therefore, not possible for us to accept, that the Appellant had not depicted the complete address as required by proviso(c), relied upon by the authorities. It is accordingly not possible for us to conclude, that the product in question was misbranded, in terms of the provisions of the Food Adulteration Act, 1954. For the reasons recorded hereinabove, the instant appeal is allowed, and the proceedings initiated against the Appellant, are quashed."

16. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाए जो यह स्पष्टतः दर्शित होता है कि विद्वान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान विक्रेता मनीष खण्डेलवाल के प्रतिष्ठान से महाकोष रिफाईन्ड सोयाबीन तेल के 500 एम.एल. के पैक का जो सैम्पल हेतु लिया गया था, उस पर उल्लेखित विनिर्माता व वितरक के उपरोक्त पते पर ही समस्त पत्राचार किया जाना दर्शित होता है, जिसका उल्लेख स्वयं न्याय निर्णायक अधिकारी ने आलोच्य आदेश में भी लेख किया है।

17. इस प्रकार प्रकरण के अभिलेख पर यह तथ्य पूर्णतः स्थापित है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.08.2021 को लिये गये महाकोष रिफाईन्ड सोयाबीन तेल के सैम्पल के लेबल पर जो पता अंकित किया गया है, उसी स्थान पर उनकी कंपनी की निर्माण यूनिट स्थित है और उस पते पर ही डाक या अन्य माध्यम से पत्राचार होता है, जो उन्हें उसी पते पर प्राप्त होता है, किंतु परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर यह साबित नहीं किया है कि उक्त नमूने के लेवल पर पूर्ण पता अंकित नहीं है और साथ ही विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा भी कंपनी के विधिक दस्तावेजों में उक्त पते का उल्लेख होना अपने आलोच्य आदेश में लेख किया गया है, किंतु तत्पश्चात अव्यवहारिक तथ्य लेख करते हुए डाक विभाग से उक्त पते पर डाक पहुँच जाने के बावजूद भी उसे पूर्ण पते के रूप में बिना कोई कारण लेख करते हुए मान्य नहीं किया है, तब ऐसी स्थिति में विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा दिया गया उपरोक्त निष्कर्ष एवं उसके आधार पर अपीलार्थीगण पर अधिरोपित की गयी शास्ति विधिक प्रावधानों के अनुकूल न होने से त्रुटिपूर्ण है।

18. इस प्रकार उपरोक्त कारणों से अपीलार्थीगण/अनावेदक अपने मामले को अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, परिणामतः अपीलार्थीगण/अनावेदक की हस्तगत विविध अपील, विधि में सारवान होने से, **स्वीकार** कर विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.08.2023, विधि एवं तथ्यों के अनुरूप न होने से **अपास्त** किया जाता है।

19. परिवाद पत्र में उल्लेखित विवरण एवं संलग्न दस्तावेज अनुसार शेष तीन नमूने कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, बैतूल में जमा है, जिनका विधिवत् निराकरण उक्त संबंधित विभाग द्वारा अपील न होने की स्थिति में अपील अवधि पश्चात् किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

20. इस आदेश की प्रति के साथ विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी का मूल अभिलेख अविलंब प्रेषित हो।

21. इस आदेश की एक प्रति संबंधित अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित हो।

तद्नुसार विविध अपील निराकृत।

दिनांक–08 अगस्त 2026

यह आदेश, खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया। सही/– **(सचिन कुमार घोष)** प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)	मेरे श्रुतलेखन पर टंकित। सही/– **(सचिन कुमार घोष)** प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

SACHIN
KUMAR
GHOSH

Digitally signed by SACHIN KUMAR GHOSH
Date: 2026.08.08 17:16:39 +0530